सीमाशुल्क

टिप्पण : *(क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत सीमा-शुल्क अभिप्रेत है।*

(ख) "सी वी डी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) "विशेष सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. स्वास्थ्य देखभाल

(1) 10 विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक ओषधियों/वैक्सीनों तथा उनकी प्रपुंज ओषधियों पर सीमाशुल्क को शून्य सीवीडी सहित (उत्पाद-शुल्क छूट के रूप में) 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(2) विनिर्दिष्ट ह्रदय युक्तियों अर्थात कृत्रिम ह्रदय और पीडीए/एएसडी अवरोधन युक्ति पर सीमाशुल्क को शून्य सीवीडी सहित (उत्पाद-शुल्क छूट के रूप में) 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

ख. इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर

(1) एलसीडी टेलिविजनों के लिए एलसीडी पेनलों पर सीमाशुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(2) टेलिविजन प्रसारण के लिए सेट टाप बाक्स पर सीमाशुल्क छूट वापस ले ली गई है और 5% सीमाशुल्क अधिरोपित कर दिया गया है।

(3) मोबाइल फोनों और उपसाधनों के विनिर्माण के पुर्जों पर 4% विशेष सीवीडी से पूर्ण छूट एक वर्ष के लिए अर्थात 6.7.2010 तक पुनःआरंभ की गई है।

ग. नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर

(1) वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों में प्रयुक्त 500 केवी से अधिक पीएम तुल्यकालिक जनित्र के स्थायी चुम्बकों पर सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(2) जैव डीजल पर सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है।

घ. पूंजी माल

(1) चाय, काफी और रबड़ बागानों के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर 5% का रियायती सीमाशुल्क एक वर्ष के लिए अर्थात 6.7.2010 तक पुनःआरंभ किया गया है।

(2) काफी बागानों के लिए "यांत्रिक लुनेरा" पर सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ऐसे लुनेरों पर सीवीडी को, उत्पाद-शुल्क छूट के रूप में 8% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ङ निर्यात सेक्टर

(1) वर्तमान में, खेल सामान के विनिर्माता-निर्यातकों द्वारा आयातित विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री/इनपुट, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त है। ऐसी मदों की सूची को इसमें पांच अतिरिक्त मदें सम्मिलित करके विस्तारित किया गया है।

(2) इसी प्रकार, चमड़ा माल, टेक्सटाइल उत्पादों तथा जूतादि उद्योग के विनिर्माता-निर्यातकों द्वारा आयातित विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री और उपस्कर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त है। ऐसी मदों की सूची का अतिरिक्त मदों को सम्मिलित करके विस्तार किया गया है।

(3) अकर्मित मूंगों पर सीमाशुल्क 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

च. बहुमूल्य धातु

(1) क्रमशः संख्याकित स्वर्ण छडों (तोला छडों और स्वर्ण सिक्कों से भिन्न) पर सीमाशुल्क 100 रु. प्रति दस ग्राम से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति दस ग्राम कर दिया गया है।

(2) स्वर्ण की अन्य प्रकारों पर सीमाशुल्क 250 रु. प्रति दस ग्राम से बढ़ाकर 500 रु. प्रति दस ग्राम कर दिया गया है।

(3) चांदी पर सीमाशुल्क 500 रु. प्रति कि. ग्रा. से बढ़ाकर 1000 रु. प्रति कि. ग्रा. कर दिया गया है।

जब स्वर्ण तथा चांदी (जिसमें आभूषण भी हैं) व्यक्तिगत सामान के रूप में आयात की जाती है तो दरों में उपरोक्त वृद्धि भी लागू होगी।

छ. टेक्सटाइल

(1) सूती अपशिष्ट पर सीमाशुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(2) ऊनी अपशिष्ट पर सीमाशुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

ज. प्रकीर्ण

(1) रॉक फास्फेट पर सीमाशुल्क 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

(2) एरियल यात्री रोपवे परियोजनाओं पर सीवीडी छूट को वापस ले लिया गया है। ऐसी परियोजनाओं पर अब लागू सीवीडी देय होगा।

(3) 50 कम प्रति घंटा या अधिक की क्षमता वाले कंक्रीट बैचिंग संयंत्रों से सीमाशुल्क छूट को वापस ले लिया गया है। ऐसे संयंत्रों पर अब 7.5% सीमाशुल्क लगेगा।

(4) पैक या कैन सॉफ्टवेयर पर मूल्य के उस भाग पर सीवीडी छूट का उपबंध किया गया है जो विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिभार के लिए प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करता है।

(5) हवा भरे जा सकने वाले राफ्टों, स्नो स्की, वाटर स्की, सर्फ बोटों, सेल बोर्डों और अन्य जल क्रीड़ा उपस्करों को सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है।

झ. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

[जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ये परिवर्तन वित्त (संख्याक 2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे]

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में एक नई धारा 26क अन्तःस्थापित की जा रही है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए आयातक और विक्रेता के बीच सहमत विशिष्टियों के अनुरुप माल के न पाए जाने पर या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आयातित माल पर संदत्त निर्यात शुल्क के प्रतिदाय के लिए उपबंध किया जा सके। धारा 157 में भी पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च में संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के गठन की बाबत कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत कर सकतीहै। यह परिवर्तन अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130 का भूतलक्षी रूप से तारीख 1.07.2003 से संशोधन किया जा रहा है जिससे विहित अवधि के पश्चात् अपील फाइल करने में विलम्ब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने के लिए एक अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130क का भूतलक्षी रूप से तारीख 1.07.1999 से संशोधन किया जा रहा है जिससे विहित अवधि के पश्चात् आवेदन या प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने में विलम्ब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने के लिए एक अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके।

(5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 137 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपराधों के उपशमन की रीति और कतिपय अपराधों का उपशमन न किया जाए। धारा 156 में पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं।

ञ. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन

[ये परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2009 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे]

(1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां भारत में उत्पादित या विनिर्मित वस्तु पर केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संग्रहण के लिए नियत टैरिफ मूल्य है, वैसी ही आयातित वस्तु के लिए उतना ही टैरिफ मूल्य हो।

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग का भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी संबंधित उपबधों का विस्तार करके इन धाराओं के अधीन उद्गृहीत शुल्कों के लिए सुरक्षोपाय किए जा सकें।

(3) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 का भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी उपबंधों को इस धारा के अधीन उद्गृहीत प्रति पाटन शुल्क पर विस्तारित किया जा सके।

(4) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क का संशोधन किया जा रहा है ताकि,—

(क) यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के संबंध में पाटन के अंतर का अवधारण ऐसे निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए अभिलेख के आधार पर और असहयोगी निर्यातक या उत्पादक की दशा में उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाए।

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तंत्र से संबंधित मशीनरी से संबंधित उपबंधों को इस धारा के अधीन उद्गृहीत प्रतिपाटन शुल्कों तक भूतलक्षी रूप से विस्तारित किया जा सके।

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 11 के टिप्पण 2 के पैरा (क) को एक नए पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे इसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के समान उपबंधों के अनुरुप किया जा सके।

(6) अधिसूचना संख्यांक 40/2006-सीमाशुल्क तारीख 01.05.2006 को भूतलक्षी रूप से इसके जारी किए जाने की तारीख से संशोधित किया जा रहा है, जिससे,

(क) ऐसी सामग्रियों के संबंध में जो स्थानीय रूप से उपाप्त की गई हैं और निःशुल्क आयात प्राधिकार स्कीम के अधीन आयात किए गए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त की गई हैं, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के अधीन रिबेट की सुविधा अनुज्ञात की जा सके।

(ख) यह उपबंध किया जा सके कि निःशुल्क पुनःपूर्तियों का, जिनके संबंध में नियम 18 या नियम 19 के अधीन सुविधाओं का उपभोग किया गया है, निर्यातकर्ता के कारखाने में या उसके सहायक विनिर्माता के कारखाने में निर्यात बाध्यता के निर्वहन के पश्चात भी शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा।

(ग) यह उपबंध किया जा सके कि आयातकर्ता उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अतिरिक्त सीमाशुल्क के बराबर राशि का संदाय करेगा यदि सामग्री को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अंतरित प्राधिकार के संबंध में आयात किया जाता है या आयातित माल को क्षेत्रीय प्राधिकारी की अनुमति से अंतरित किया जाता है। तथापि, 01.05.2006 से 31.03.2007 तक जारी प्राधिकारों के संबंध में ऐसी रकम संदेय नहीं होगी।

(घ) अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शुल्क्य मालों को परिभाषित किया जा सके।

(7) अधिसूचना संख्यांक 27/2009-सीमाशुल्क (एनटी) तारीख 17.03.2009 संपूर्ण भारत में अधिकारिता के साथ डीजीसीईआई के अधिकारियों के सीमाशुल्क अधिकारियों के रूप में कार्य करने का उपबंध करती है। इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से 09.05.2000 से प्रभावी किया गया है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

जबतक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

क. दर संरचना

मदों पर इस समय लागू 4% उत्पाद-शुल्क दर को निम्नलिखित प्रमुख अपवादों के साथ 8% तक बढ़ा दिया गया है :

- विनिर्दिष्ट खाद्य मदें जिनके अन्तर्गत बिस्कुट, शर्बत, केक तथा पेस्ट्रियां हैं।
- अध्याय 30 के अधीन आने वाले ओषधि और भेषजीय उत्पाद
- चिकित्सा उपस्कर
- कागज, पेपर बोर्ड तथा उसकी कतिपय किस्म की वस्तुएं
- पेराक्सलीन
- जल प्रबंधन के लिए शक्ति चालित पम्प
- 250 रुपए से अधिक परन्तु 750 रु. से अनधिक प्रति जोड़ा खुदरा विक्रय मूल्य के जूतादि
- प्रेशर कुकर
- 20 रु. प्रति बल्ब से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य के निर्वात और गैस से भरे बल्ब
- संहत प्रतिप्रदीप्त लैम्प
- शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कार

ख. आटोमोबाइल सेक्टर

(1) उत्पाद-शुल्क के विनिर्दिष्ट संघटक को, जो 2000 सीसी और उससे अधिक की क्षमता वाले इंजन की बड़ी कारों, उपयोगिता यानों को लागू है, प्रतियान 20,000 से घटाकर 15,000 रु. प्रति यान कर दिया गया है।

(2) पेट्रोल चालित ट्रकों/लारियों पर उत्पाद-शुल्क 20% से घटाकर 8% कर दिया गया है। ऐसे ट्रकों/लारियों की चेसिस पर उत्पाद-शुल्क 20%+ 10000 रु. से घटाकर 8%+10000 रु. कर दिया गया है।

ग. पेट्रोलियम सेक्टर

(1) विशेष क्वथनांक स्पिरिटों पर उत्पाद-शुल्क घटा कर 14% कर दिया गया है।

(2) नेप्था पर उत्पाद-शुल्क घटाकर 14% कर दिया गया है।

(3) 20% जैव डीजल तक मिश्रित शुल्क संदत्त उच्च गति डीजल को उत्पाद शुल्कों से पूर्णतः छूट दी गई है।

(4) विक्रय के लिए आशयित ब्रान्ड नाम वाले पेट्रोल पर 6% उत्पाद-शुल्क को मूल्यानुसार संघटक विनिर्दिष्ट दर में संपरिवर्तित कर दिया गया है। परिणामतः अब ऐसे पेट्रोल पर अब '6%+13 रु. प्रति लीटर' की दर की बजाए 14.50 रु. प्रति लीटर की दर से कुल उत्पाद-शुल्क लगेगा।

(5) विक्रय के लिए आशयित ब्रान्ड नाम वाले डीजल पर 6% उत्पाद-शुल्क का मूल्यानुसार संघटक विनिर्दिष्ट दर में संपरिवर्तित कर दिया गया है। परिणामतः ऐसे डीजल पर 6%+3.25 प्रति लीटर की बजाए 4.75 रु. प्रति लीटर का कुल उत्पाद-शुल्क लगेगा।

घ. टेक्सटाइल

(1) मानवनिर्मित फाइबर तथा सूत पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(2) पीटीए और डीएमटी पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(3) पालिस्टर चिपों पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(4) एक्राइलोनाइट्राइल पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(5) शुद्ध सूत के लिए 4% के वैकल्पिक उत्पाद-शुल्क की स्कीम को प्रत्यावर्तित किया गया है।

(6) फाइबर और सूत प्रक्रम से परे, शुद्ध सूत से भिन्न मानव निर्मित और प्राकृतिक फाइबरों के लिए उत्पाद-शुल्क विद्यमान वैकल्पिक स्कीम के अधीन 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(7) शुल्क संदत्त स्टेपल फाइबर से विनिर्मित टोपों के बराबर शुल्क संदत्त मोटे सन से विनिर्मित मानवनिर्मित फाइबर टोपों पर वैकल्पिक उत्पाद-शुल्क छूट प्रदान की गई है।

(8) निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा स्वदेशी कच्ची सामग्रियों/इनपुटों का ऐसे मालों के विनिर्माण के लिए प्रयोग करके टेक्सटाइल मालों के समाशोधन के लिए डीटीए को लागू शुल्क दरों में उपयुक्त समायोजन किए जा रहे हैं।

ङ प्रकीर्ण

(1) सन्निर्माण के स्थल पर ऐसे स्थल पर सन्निर्माण संकर्म में उपयोग के लिए विनिर्मित अध्याय 68 के मालों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।

(2) "रेकार्डेड स्मार्ट कार्डों" और "रेकार्डेड प्रोक्सिमिटी कार्डों और टैगों" पर उत्पाद-शुल्क से छूट को वैकल्पिक बना दिया गया है। विनिर्माताओं को यह विकल्प है कि वे लागू उत्पाद-शुल्क का संदाय करें और इनपुटों पर संदत्त शुल्क का प्रत्यय लें।

(3) जुतादि के विनिर्माण के लिए आगे उपयोग के लिए जॉब वर्क पर विनिर्मित ईवीए संघटक को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

(4) लघु उद्योग छूट योजना का फायदा मुद्रित लेमिनेटड रोलों को जिन पर, अन्य का ब्रांड नाम है, इस मद को ब्रांड नाम निर्बंधन के दायरें से हटा दिया गया है।

(5) पैक या कैन सॉफ्टवेयर पर मूल्य के उस भाग पर उत्पाद-शुल्क छूट का उपबंध किया गया है जो विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करता है।

(6) आभूषणों की ब्रांडित वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क 2% से घटा कर शून्य कर दिया गया है।

च. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन

[ये परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे]

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपराधों के उपशमन की रीति का उपबंध और कतिपय अपराधों और परिस्थितियों का उपशमन न किया जाए। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 में भी पारिणामिक संशोधन किया जा रहा है।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 14क और धारा 14कक का संशोधन किया जा रहा है जिससे मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को इन उपबंधों के अधीन विशेष लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए चार्टर्ड अकांउटेंट नामनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 23क का संशोधन किया जा रहा है जिससे "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी" की परिभाषा को प्रतिस्थापित करके उसमें सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28च के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी को शामिल किया जा सके।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35छ का भूतलक्षी रूप से 1.07.2003 से संशोधन किया जा रहा है जिससे उच्च न्यायालय को विहित अवधि के पश्चात अपील फाइल करने में विलम्ब को माफ करने के लिए सशक्त करने के लिए अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ज का भूतलक्षी रूप से 1.07.1999 से संशोधन किया जा रहा है जिससे उच्च न्यायालय को विहित अवधि के पश्चात आवेदन या प्रतिआक्षेप ज्ञापन फाइल करने में विलम्ब को माफ करने के लिए सशक्त करने के लिए अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके।

छ. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन

[ये परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे]

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में अध्याय 8 के टिप्पण 1 को प्रतिस्थापित किया गया है जिससे सुपारी के रूप में ज्ञात सुपारी उत्पादों को टैरिफ मद 2106 90 30 की परिधि से बाहर किया जा सके।

(2) अध्याय 21 में एक टिप्पण (सं. 6) अंतःस्थापित किया गया है जिसमें टैरिफ मद 2106 90 30 के संबंध में छोटी इलाइची, कोपरा, मेंथॉल, मसाले, मधुकर अभिकर्मक या ऐसे ही संघटकों जिनमें नींबू, कत्था या तम्बाकु से सुपारी चाहे किसी भी रूप में हो, जोड़ने या मिश्रित करने की प्रक्रिया विनिर्माण मानी जाएगी।

(3) अध्याय 8 में टैरिफ मद 5801 22 10 के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में एम^2 और 8% क्रमशः अतःस्थापित किया जा रहा है।

ज. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों और सेनवेट प्रत्यय नियमों में संशोधन

[ये संशोधन सिवाए तब जब अन्यथा उपबंधित न किया जाए तुरंत प्रभावी होंगे]

(1) यह उपबंध करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 में एक नया नियम अंतःस्थापित किया जा रहा है कि किसी अन्वेषण के दौरान विभाग द्वारा अभिग्रहीत ऐसे अभिलेखों को, जिनका कारण बताओ सूचना में भरोसा नही किया गया है, कारण बताओं सूचना जारी करने के 30 दिन के भीतर पक्षकार को लौटा दिया जाना चाहिए।

(2) सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 2 में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि ऐसे "इनपुट" में जो सेनवेट प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, सीमेंट, एंग्लस, चैनल्स, सीटीडी या टीएमटी छड़े और पूंजी मालों के समर्थन के लिए शैड, भवन या संरचना के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अन्य मदें सम्मिलित नहीं होंगी।

(3) अधिसूचना सं.33/97-सीई(एनटी) तारिख 01.08.1997, 44/97-सीई (एनटी) तारीख 30-08-1997 और 7/98- सीई(एनटी) तारीख 10.03.1998 का, संबंधित अधिसूचनाओं को जारी करने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की तत्कालीन धारा 3क द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के कारण इन अधिसूचनाओं के अधीन उत्पाद-शुल्क की दरों को अधिसूचित करने की शक्ति है। [वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2009 के अधिनियमन पर प्रभाव होगा]

(4) सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6(3) का यह विहित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि शुल्क्य और छूट प्राप्त मालों, दोनों का ऐसा विनिर्माता, जो इनपुटो का पृथक लेखा नही रखता है, छूट प्राप्त मालों के कुल मूल्य के 10% की बजाए 5% के बराबर रकम का संदाय करेगा।